



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./ जो.स्त.स./का.वि./2022/ 4100.

दिनांक:- 09/09/2022

:-कार्यवाही विवरण:-

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.17(1)नवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 एवम् कार्यालय आदेश दिनांक 20.07.2022 के द्वारा गठित जोन स्तरीय समिति की 06/2022 वीं बैठक दिनांक 08.09.2022 को उपायुक्त (उत्तर) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सपन्न हुई जिसमें उपस्थित सदस्य/अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार है:-

एजेण्डा संख्या 01.

विषय :- जोन स्तरीय समिति की 05/2022 वीं बैठक दिनांक 02.08.2022 जोन उत्तर के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय :- समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या	विषय
02.	राजस्व ग्राम मण्डोर-द्वितीय के खसरा संख्या 679, 680 रकबा 04.10.00 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

- पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों अनुसार प्रश्नगत योजना दिनांक 31.12.2021 से पूर्व की है तथा पटवारी की रिपोर्ट अनुसार मौके पर 35 प्रतिशत भूखण्डों पर मकान निर्मित है। विद्युत लाईन उपलब्ध है।
- जमाबंदी अनुसार क्षेत्रफल 7284.34 वर्गमीटर है एवं सर्वेयर अनुसार योजना का क्षेत्रफल 8439.88 वर्गमीटर है। अतः अतिरिक्त भूमि के संबंध में जोन स्तर से कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
- पत्रावली के पृष्ठ संख्या 40 पर संलग्न रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 679, 680 अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।
- पत्रावली के पृष्ठ संख्या 41 की विधि शाखा रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 679, 680 में कोई वाद लम्बित नहीं है।
- तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट पत्रावली के पृष्ठ संख्या 43-44 पर संलग्न है जिसके अनुसार मौका व राजस्व रिकॉर्ड अनुसार 30 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है।
- जोन रिपोर्ट अनुसार प्राधिकरण स्तर पर आवेदित भूमि के पास राजस्व ग्राम मण्डोर का खसरा संख्या 802, 803 पूर्व में अनुमोदित किया जा चुका है।
- प्रकरण में पृष्ठ संख्या 46 पर संलग्न सुपरइम्पोज्ड मानचित्र में आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार पूर्व में किये गए कमिटमेंट अनुसार 60 फीट एवं आन्तरिक सड़कों का मार्गाधिकार 30 फीट एवं नाले के सहारे 30 फीट वृक्षारोपण पट्टी रखने के उपरान्त क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	प्रयोजन	एरिया (वर्गमीटर)	प्रतिशत
1.	आवासीय	5748.96	68.12
2.	वृक्षारोपण पट्टी	290.62	5.49
3.	सड़क व नाला	2400.30	27.26
	कुल	8439.88	100.00

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

- एजेण्डा के बिन्दु संख्या 2 के कम में अतिरिक्त क्षेत्रफल के संबंध में जोन स्तर पर स्वामित्व संबंधी जांच कर नियमानुसार राशि वसूल की जावे।
- एजेण्डा के बिन्दु संख्या 1 के कम में विद्युत लाईन की स्थिति एवं क्षमता प्राप्त कर नियमानुसार सेफ्टीकॉरिडोर का प्रावधान किया जावे।
- आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में स्थित नाले के सहारे-सहारे 30 फीट वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावे।
- एजेण्डा के बिन्दु संख्या 7 के कम में पट्टा विलेख जारी करते समय मौका रिपोर्ट ली जाकर न्यूनतम 30 फीट सड़क की सुनिश्चितता की जावे।
- प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
- उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृति नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की

पंकज नौपट

जानी होगी।

07. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है।

एजेण्डा संख्या	विषय
03.	राजस्व ग्राम मण्डोर-द्वितीय के खसरा संख्या 378/2, 378/2/1 रकबा 03.12.00 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

समिति को अवगत करवाया गया कि :-

1. प्रकरण में पूर्व जोन स्तरीय समिति की बैठक निर्णयार्थ रखा जिसमें समिति द्वारा वाद विचार विमर्श आवेदित भूमि के क्षेत्रफल के संबंध में जोन स्तर से स्थिति स्पष्ट किये जाने तथा विधि शाखा की नवीन रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में लिये जाने का निर्णय लिया गया।
2. गत बैठक में लिये गये निर्णय के कम में विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि पर वाद लम्बित नहीं है।
3. आवाप्ति शाखा की रिपोर्ट पत्रावली के पृष्ठ संख्या 169 पर संलग्न है।
4. गत बैठक में लिये गये निर्णय के कम में पटवारी रिपोर्ट अनुसार ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 378/2 व 378/2/1 में कल्याण सिंह पुत्र श्री गोमाराम गहलोत नि. बारली मण्डावता आठ मील, जोधपुर द्वारा आपत्ति दर्ज की गयी है। पत्रावली में संलग्न राजस्व जमाबन्दी अनुसार खसरा संख्या 378/2 रकबा 03.12.00 बीघा एवं खसरा संख्या 378/2/1 रकबा 03.00.00 बीघा दर्ज है। एवं उपरोक्त दोनों खसरों में कल्याणसिंह पुत्र श्री गोमाराम के नाम खातेदारी दर्ज नहीं है। प्रमाणित नक्शे लढठे के अभाव में ग्राम मण्डोर के खसरों की तरमीम सम्भव नहीं है।
5. पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों अनुसार प्रश्नगत योजना दिनांक 31.12.2021 से पूर्व की है तथा पटवारी की रिपोर्ट अनुसार मौके पर 10 प्रतिशत से अधिक भूखण्डों पर मकान व चार दीवारी निर्मित है। मौके पर विद्युत लाईन उपलब्ध है।
6. जमाबंदी अनुसार क्षेत्रफल 5827.47 वर्गमीटर है एवं सर्वेयर अनुसार योजना का क्षेत्रफल 6881.20 वर्गमीटर है। अतः अतिरिक्त भूमि के संबंध में जोन स्तर से कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
7. पत्रावली के पृष्ठ संख्या 31 व 137 पर संलग्न रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 378/2, 378/2/1 अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।
8. पत्रावली में विधि शाखा की रिपोर्ट संलग्न नहीं है।
9. तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट पत्रावली के पृष्ठ संख्या 144-145 पर संलग्न है जिसके अनुसार मौका व राजस्व रिकॉर्ड अनुसार 150 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है।
10. प्रकरण में पृष्ठ संख्या 149 पर संलग्न सुपरइम्पोज्ड मानचित्र में आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 200 फीट एवं आन्तरिक सड़कों का मार्गाधिकार 30 फीट रखने के उपरान्त क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	प्रयोजन	एरिया (वर्गमीटर)	प्रतिशत
1.	आवासीय	4450.16	64.67
2.	सड़क	2431.04	35.33
कुल		6881.20	100.00

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

01. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 6 के कम में अतिरिक्त क्षेत्रफल के संबंध में जोन स्तर पर स्वामित्व संबंधी जांच कर नियमानुसार राशि वसूल की जावे।
02. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 5 के कम में विद्युत लाईन की स्थिति एवं क्षमता प्राप्त कर नियमानुसार सेफटीकॉरिडोर का प्रावधान किया जावे।
03. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 10 के कम में पट्टा विलेख जारी करते समय मौका रिपोर्ट ली जाकर न्यूनतम 30 फीट सड़क की सुनिश्चितता की जावे।
04. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृति नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
05. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है।

सिंह जी

एजेण्डा संख्या	विषय
04.	राजस्व ग्राम भदवासिया के खसरा संख्या 92/1 रकबा 04.00.00 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

समिति को अवगत करवाया गया कि :-

1. पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों अनुसार प्रश्नगत योजना दिनांक 31.12.2021 से पूर्व की है तथा पटवारी की रिपोर्ट अनुसार मौके पर 37 प्रतिशत से अधिक भूखण्डों पर मकान निर्मित है। विद्युत लाईन उपलब्ध है।
2. जमाबंदी अनुसार क्षेत्रफल 6474.97 वर्गमीटर है एवं सर्वेयर अनुसार योजना का क्षेत्रफल 6016.48 वर्गमीटर है।
3. पत्रावली के पृष्ठ संख्या 52 पर संलग्न रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 92/1 अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।
4. पत्रावली के पैरा संख्या 03 की विधि शाखा रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 92/1 में कोई वाद लम्बित नहीं है।
5. तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट पत्रावली के पृष्ठ संख्या 41-42 पर संलग्न है जिसके अनुसार मौका व राजस्व रिकॉर्ड अनुसार 30 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है।
6. प्रकरण में पृष्ठ संख्या 47 पर संलग्न सुपरइम्पोज्ड मानचित्र में आवेदित भूमि में आन्तरिक सड़कों का मार्गाधिकार 30 फीट रखने के उपरान्त क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है-

क.सं.	प्रयोजन	एरिया (वर्गमीटर)	प्रतिशत
1.	आवासीय	4204.71	69.89
2.	सड़क	1811.77	30.11
	कुल	6016.48	100.00

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

01. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 2 के कम में अतिरिक्त क्षेत्रफल के संबंध में जोन स्तर पर स्वामित्व संबंधी जांच कर नियमानुसार राशि वसूल की जावे।
02. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 1 के कम में विद्युत लाईन की स्थिति एवं क्षमता प्राप्त कर नियमानुसार सेफ्टीकॉरिडोर का प्रावधान किया जावे।
03. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 6 के कम में पट्टा विलेख जारी करते समय मौका रिपोर्ट ली जाकर न्यूनतम 30 फीट सड़क की सुनिश्चितता की जावे।
04. प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
05. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृति नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
06. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है।

एजेण्डा संख्या	विषय
05.	राजस्व ग्राम बासनी तम्बोलिया के खसरा संख्या 61 रकबा 04.11.09 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

समिति को अवगत करवाया गया कि :-

1. पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों अनुसार प्रश्नगत योजना दिनांक 31.12.2021 से पूर्व की है तथा पटवारी की रिपोर्ट अनुसार मौके पर 10 प्रतिशत भूखण्डों पर मकान निर्मित है। विद्युत लाईन उपलब्ध है।
2. जमाबंदी अनुसार क्षेत्रफल 7401.7 वर्गमीटर है एवं सर्वेयर अनुसार योजना का क्षेत्रफल 7342.22 वर्गमीटर है।
3. पत्रावली के पृष्ठ संख्या 60 पर संलग्न रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 61 अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।
4. पत्रावली के पैरा संख्या 04 की विधि शाखा रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 61 में कोई वाद लम्बित नहीं है।
5. तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट पत्रावली के पृष्ठ संख्या 19-20 पर संलग्न है जिसके अनुसार मौका व राजस्व रिकॉर्ड अनुसार 30 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है।
6. जोन रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 61 ग्राम बासनी तम्बोलिया का प्रार्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपी पेश की गयी है। जिसमें उक्त खसरे पर लम्बित वाद को खारिज किया गया।
7. प्रकरण में पृष्ठ संख्या 14 पर संलग्न सुपरइम्पोज्ड मानचित्र में आवेदित भूमि की आन्तरिक सड़कों का मार्गाधिकार 30 फीट रखने के उपरान्त क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है-

क.सं.	प्रयोजन	एरिया (वर्गमीटर)	प्रतिशत
1.	आवासीय	5077.62	69.15

पिनंगानोपुस्ट

2.	सड़क	12842.15	4.86
	कुल	12842.11	109.59

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

01. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 1 के कम में विद्युत लाईन की स्थिति एवं क्षमता प्राप्त कर नियमानुसार सेफ्टीकोरिडोर का प्रावधान किया जावे।
02. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 7 के कम में पट्टा विलेख जारी करते समय मौका रिपोर्ट ली जाकर न्यूनतम 30 फीट सड़क की सुनिश्चितता की जावे।
03. प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
04. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृति नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
05. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवरोध, एवं मालिकाना हक की समस्त विवरणें प्रती की रवय की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और न ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है।

एजेण्डा संख्या	विषय
06.	राजस्व ग्राम खोखरिया के खसरा संख्या 183/1 एकड़ 07.12.10 बीघा भूमि पर आदेशित प्रत्येक ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

समिति को अवगत करवाया गया कि :-

1. पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों अनुसार प्रश्नगत योजना दिनांक 31.12.2021 से पूर्व की है तथा पट्टा की रिपोर्ट अनुसार मौके पर 30 प्रतिशत से अधिक भूखण्डों पर मकान निर्मित है।
2. जमाबंदी अनुसार क्षेत्रफल 12342.91 वर्गमीटर है एवं सर्वेयर अनुसार योजना का क्षेत्रफल 12842.11 वर्गमीटर है। अतः अतिरिक्त भूमि के संबंध में जोन स्तर से कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
3. पत्रावली के पृष्ठ संख्या 40 पर संलग्न रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 183/1 अवरोध शाखा में दिखाया नहीं है।
4. पत्रावली के पृष्ठ संख्या 52 पर संलग्न रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 183/1 कोई दिष्ट शाखा में दाद लम्बित नहीं है।
5. तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट पत्रावली के पृष्ठ संख्या 42-43 पर संलग्न है जिसके अनुसार मौका व राजस्व रिपोर्ट अनुसार 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है।
6. जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार आवेदित भूमि में से 132 केवी एचटी लाईन गुजर रही है उक्त की स्थिति एवं क्षमता बाबत टिपणी प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।
7. प्रकरण में पृष्ठ संख्या 48 पर संलग्न सुपरइम्पोज्ड मानचित्र में आवेदित भूमि में से जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 132 केवी एचटी लाईन एवम् उसके दोनों तरफ 18 मीटर सड़क एवं आन्तरिक सड़कों का मार्गाधिकार 30 फीट स्वयं के उपरान्त क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है-

क.सं.	प्रयोजन	एरिया (वर्गमीटर)	प्रतिशत
1.	आवासीय	6420.42	50.82
2.	सेफ्टी कॉरिडोर	1133.61	08.97
3.	सड़क	5079.77	40.21
	कुल	12633.80	100.00

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

01. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 2 के कम में अतिरिक्त क्षेत्रफल के संबंध में जोन स्तर पर स्वामित्व संबंधी जांच कर नियमानुसार राशि वसूल की जावे।
02. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 6 के कम में विद्युत लाईन की स्थिति एवं क्षमता प्राप्त कर नियमानुसार सेफ्टीकोरिडोर का प्रावधान किया जावे।
03. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 7 के कम में पट्टा विलेख जारी करते समय मौका रिपोर्ट ली जाकर न्यूनतम 30 फीट सड़क की सुनिश्चितता की जावे।
04. प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
05. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृति नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

सिंहान्वीप

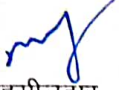
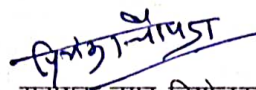
06. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जाये कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है।

एजेण्डा संख्या	विषय
07.	राजरव ग्राम पूजला के खसरा संख्या 120 के अनुमोदित ले-आउट प्लान में संशोधन के संबंध में।

समिति को अवगत करवाया गया कि :-

प्रकरण को पूर्व में जोन लेवल कमेटी दिनांक 08.08.2013 को अनुमोदित किया गया था जिसके उत्तर दिशा में 40 फीट सड़क के सहारे स्थित भूखण्डों (कुल 12 भूखण्ड) के भूखण्ड संख्या अंकित नहीं है। अतः पटवारी से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड संख्या दर्शाया जाना अपेक्षित है। साथ ही अनुमोदित ले-आउट प्लान की पश्चिम दिशा एवम् दक्षिण दिशा की सड़कों को यथावत रखते हुए उक्त 12 भूखण्डों के माप वर्तमान मौका स्थिति अनुसार रखे जाने अपेक्षित है।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त पटवारी की रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड संख्या अंकित करते हुए एवम् अनुमोदित ले-आउट प्लान की पश्चिम दिशा एवम् दक्षिण दिशा की सड़कों को यथावत रखते हुए उक्त 12 भूखण्डों के माप वर्तमान मौका स्थिति अनुसार रखते हुए अनुमोदित ले-आउट प्लान में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया-

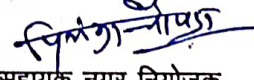
 तहसीलदार जोधपुर विकास प्राधिकरण	 सहायक/अधिशायी अभियन्ता जोधपुर विकास प्राधिकरण	 सहायक नगर नियोजक जोधपुर विकास प्राधिकरण	 उपायुक्त उत्तर जोधपुर विकास प्राधिकरण
---	--	---	---

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./ जो.स्त.स./का.वि./2022/ 4101-4107 दिनांक:-

09/09/2022

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

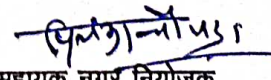
1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
4. उपायुक्त उत्तर, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. उप नगर नियोजक जो.वि.प्रा., जोधपुर
6. अधिशायी अभियन्ता, जो.वि.प्रा., जोधपुर
7. तहसीलदार, जो.वि.प्रा., जोधपुर


सहायक नगर नियोजक
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

परिशिष्ट-"1"

जोन स्तरीय समिति की 06/2022 वीं बैठक दिनांक 08.09.2022 को उपायुक्त (उत्तर) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|----------------|
| 1. श्री सुभाषचन्द शर्मा, निदेशक आयोजना, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | विशेष आमंत्रित |
| 2. श्रीमति चंचल वर्मा, उपायुक्त (उत्तर), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | संयोजक |
| 3. श्री संदीप माथुर, अधिशायी अभियन्ता, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | विशेष आमंत्रित |
| 5. श्री. मोहित आशिया, तहसीलदार जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 6. सुश्री प्रियंका चौपडा, सहायक नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |


सहायक नगर नियोजक
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर